संख्या-11-2024-57-1-3-2023

प्रेषक,

रघुवीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2025**

विषय:- श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसंपत्तियों के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1136/ध0का0वि0नि0/2024-25, दिनांक-01.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसंपत्तियों के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के संबंध में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2250-101-16-श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसंपत्तियों के अनुरक्षण कार्य-29-अनुरक्षण मानक मद में प्राविधानित धनराशि रू0 786.00 लाख में से पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 726.98 लाख (रूपये सात करोड़ छब्बीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसंपत्तियों के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2250-101-16-श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसंपत्तियों के अनुरक्षण कार्य-29-अनुरक्षण मानक मद में प्राविधानित धनराशि रू0 786.00 लाख में से पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 726.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा संपूर्ण धनराशि रू0 726.98 लाख (रूपये सात करोड़ छब्बीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

(1) प्रायोजना में निर्मित प्रत्येक भवन का कुर्सी क्षेत्रफल की विस्तृत मापी के आधार पर भुगतान/टेण्डर प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) प्रायोजना पर सेतु निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, पहुँच मार्ग आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हो।

(8) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति /धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों/नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि प्रश्नगत मद में अनुरक्षण धनराशि की मांग आवर्तक रूप से राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा।

(10) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के वार्षिक अनुरक्षण कार्य हेतु न्यास/परिषद के नियमों में यथावश्यक संशोधन पर विचार किया जाए। अनुरक्षण के मद में होने वाले व्यय भार/अन्य व्यय भार का वहन न्यास/परिषद को प्राप्त होने वाली आमदनी से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(11) उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 4 मार्च, 2024 में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) प्रश्नगत कार्य हेतु वस्तुओं/सेवाओं/उपकरणों का क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(15) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी से किया जायेगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,26,98,000 (रुपये सात करोड़ छब्बीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 2250001011600 काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण कार्य **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशा0 संख्या **< E-5-298-X-2024-25 >,** दिनांक-19 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-11-2024-57-1-3-2023 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।